कुलपति महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की छठी बैठक दिनांक 07 अगस्त, 2012 का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्न ने प्रतिभाग किया :

1.	प्रोफेसर विनय कुमार पाठक, कुलपति, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।	अध्यक्ष
2.	प्रो0 स्वराज बासु, इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।	सदस्य
3.	श्री सुधीर चड्ढा, चड्ढा सीड फार्म, पोस्ट-चकलवा, नैनीताल।	सदस्य
4.	श्री राजीव बेरी, 19/1, प्लीसेन्ट वेली, राजपुर रोड़, देहरादून।	सदस्य
5.	प्रोफेसर गोविन्द सिंह, निदेशक, पत्रकारिता एवं जनसंचार विद्या शाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।	सदस्य
6.	प्रोफेसर एच.पी. शुक्ल, निदेशक, मानवीकी एवं भाषा विज्ञान विद्या शाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।	सदस्य
7.	प्रोफेसर गिरिजा पाण्डे, निदेशक, समाज विज्ञान विद्या शाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।	सदस्य
8.	डॉ0 मदन मोहन जोशी, सहायक प्राध्यापक, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।	सदस्य
9.	श्रीमती आभा गर्खाल, वित्त नियन्त्रक, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।	सदस्य
10.	प्रोफेसर आर. सी. मिश्र, कुलसचिव/ निदेशक, प्रबन्ध अध्ययन एवं वाणिज्य एवं पर्यटन एवं होटल प्रबंध विद्या शाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।	सदस्य सचिव

बैठक के आरम्भ में कुलसचिव द्वारा सभी उपस्थित महानुभावों का स्वागत करते हुए सदस्यगणों के सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया गया। तदुपरान्त बैठक की कार्यसूची पर विचार आरम्भ हुआ।

प्रस्ताव संख्या 6.01- कार्य परिषद की पंचम बैठक दिनांक 23.04.2012 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

कार्य परिषद की पांचवीं बैठक दिनांक 23.04.2012 के कार्यवृत्त की पुष्टि करते हुए कार्य परिषद के सदस्य प्रोफेसर बासु द्वारा इंगित किया गया कि हिमालयी अध्ययन केन्द्र तथा संग्रहालय हेतु भूमि की उपलब्धता न करते हुए इसे विभाग का अंश मानते हुए विभाग द्वारा ही संचालित किया जाय। गत बैठक के मद संख्या- 5.09 में बिन्दु 01 पर अधिवर्षता आयु एवं विशेष भत्तों को छोड़कर यू0जी0सी0 आयोग विनियम 2010 को लागू किये जाने के संबंध में यह संशोधन कर लिया जाय कि जहॉ शासन के निर्णय अपेक्षित हों, उन पर शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेश मान्य होंगें। इसके अतिरिक्त परिनियमावली में जहॉ कहीं संशोधन अपेक्षित हों उन्हें प्रस्ताव के रूप में कार्य परिषद के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाय।

प्रस्ताव संख्या 6.02- कार्य परिषद की पंचम बैठक दिनांक 23.04.2012 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही।

गत बैठक में विभिन्न मदों में पारित संकल्पों पर कृत कार्यवाही पर परिषद द्वारा संतोष व्यक्त करते हुए निर्देश दिया कि जहॉ समितियों का गठन किया गया है उन मामलों में समिति से अपनी संस्तुति यथाशीघ्र उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही की जाय तथा कृत कार्यवाही से परिषद को आगामी बैठक में अवगत कराया जाय।

प्रस्ताव संख्या 6.03- सहायक प्राध्यापक (शिक्षा शास्त्र) पदों हेतु गठिन चयन समिति की संस्तुतियों पर विचार एवं अनुमोदन।

कार्य परिषद द्वारा सहायक प्राध्यापक शिक्षाशास्त्र के एक पद पर अनारक्षित पद के विपरीत श्रेष्ठता क्रम में निम्न अभ्यर्थियों की नामावली अनुमोदित की:-

1. डा0 प्रवीन कुमार तिवारी
2. डा0 नरेन्द्र कुमार
3. डा0 शिखा तिवारी

अनारक्षित महिला में उत्तराखण्ड मूल की कोई अभ्यर्थिनी न होने के कारण इस पद पर किसी का चयन नहीं किया गया तथा पद को पुनर्विज्ञाप्ति करने की चयन समिति की संस्तुति को भी अनुमोदित किया गया। क्षितजीय आरक्षण के अनुसार अनारक्षित वर्ग में महिलाओं के लिये निर्दिष्ट पद पर क्या उत्तराखण्ड के मूल निवासी को ही अर्ह माना जायेगा अथवा अन्य को भी, के संबंध में उत्तराखण्ड शासन से ज्ञात कर लिया जाय।

प्रस्ताव संख्या 6.04- शिक्षणेत्तर वर्ग के पदों पर की गयी संविदा/प्रतिनियुक्ति के आधार पर की गयी नियुक्तियों से परिषद को अवगत कराना।

परिषद द्वारा शिक्षणेत्तर वर्ग में की गयी निम्न नियुक्तियों का अवलोकन किया गया तथा कृत कार्यवाही पर अनुमोदन प्रदान किया गया:-

1. संविदा के आधार पर नियुक्त आशुलिपिक ग्रेड-1 पर नियुक्त कार्मिक:-
   (1) कु0 तनुजा (2) श्री संजय भट्ट
2. संविदा के आधार पर हार्डवेयर इंजीनियर (मल्टीमीडिया कन्टेन्ट डिजाइनर) के पद हेतु श्रेष्ठता क्रम में निम्न नामावली:-
   (1) श्री विनीत पौडियाल (2) श्री दयाल सिंह बोहरा

11/8/12

3. संविदा के आधार पर प्रतिनियुक्ति पर भरे जाने हेतु सहायक कुलसचिव के पद हेतु श्रेष्ठता क्रम में निम्न नामावली अनुमोदित की गई:-

1. श्री सतेन्द्र सिंह
2. श्री माधवानन्द जोशी
3. श्री प्रकाश चन्द्र सती

प्रस्ताव संख्या 6.05 - विश्वविद्यालय में योगदान से पूर्व अन्य शिक्षण संस्थानों में की गयी सेवा को पैंशन लाभ हेतु जोडे जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर परिषद द्वारा विचारोपरान्त प्रकरण पर शासनादेश की व्यवस्थाओं के अनुरूप कार्यवाही करने का निर्देश देते हुए मत व्यक्त किया कि शासनादेश को विश्वविद्यालय में लागू किये जाने पर सहमति व्यक्त की जाती है। अत: यह निम्न प्राध्यापकों के सम्बन्ध में भी लागू किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई:-

1. प्रोफेसर आर0सी0 मिश्र
2. प्रोफेसर एच0पी0 शुक्ल
3. प्रोफेसर दुर्गेश पंत
4. प्रोफेसर गिरिजा पाण्डे

चूँकि उक्त प्राध्यापक अभी कुमॉऊ विश्वविद्यालय से असाधारण अवकाश पर हैं तथा इस प्रकार इनका धारणाधिकार अभी कुमॉऊ विश्वविद्यालय में है, अत: इनके प्रकरणों में सेवा जोड़ने की कार्यवाही उनके द्वारा कुमॉऊ विश्वविद्यालय से त्यागपत्र की स्वीकृति के उपरान्त ही की जायेगी।

प्रस्ताव संख्या 6.06 - वित्त समिति की पॉचवीं बैठक दिनांक 27 जून, 2012 की संस्तुतियों पर विचार एवं निर्णय।

वित्त समिति की पांचवीं बैठक दिनांक 27 जून, 2012 की संस्तुतिओं का परिषद द्वारा अवलोकन किया गया तथा उन पर सहमति व्यक्त की गयी। वित्त समिति की बैठक के मद संख्या- 5.08 पर अंकित प्रस्ताव के संदर्भ में परिषद द्वारा परीक्षा नियंत्रक को देय मानदेय रू0 15000/- प्रति सेमेस्टर के संबंध में निर्देश दिया कि यह राशि परीक्षा नियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार निर्वहन करने की दशा में ही अनुमन्य होगा।

प्रस्ताव संख्या 6.07 - परिनियमावली के परिनियम 13 (7 से 13 तक) में इकाई के स्थान पर विभाग किये जाने विषयक प्रकरण पर महामहिम कुलाधिपति के वरिष्ठ वित्त अधिकारी द्वारा चाहे गये स्पष्टीकरण पर विचार।

प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के उपरान्त परिषद द्वारा मत व्यक्त किया गया कि विश्वविद्यालय में अध्ययन की प्राथमिक विभाग होती है। अत: परिषद द्वारा पूर्व में पारित परिनियमावली संशोधन पर पुन: सहमति व्यक्त करते हुए इकाई के स्थान पर विभाग को प्रतिस्थापित किये जाने विषयक परिनियमावली संशोधन के संबंध में महामहिम कुलाधिपति से सहमति प्राप्त करने हेतु पुन: अनुरोध किया जाय।

प्रस्ताव संख्या 6.08 - विश्वविद्यालय के शिक्षकों का वार्षिक आंतरिक गुणवत्ता आंकलन हेतु प्रयुक्त किये जाने वाले प्रपत्र पर विचार एवं अनुमोदन।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त परिषद द्वारा मत व्यक्त किया गया कि शिक्षकों के प्रतिवर्ष किये गये कार्य के आकंलन हेतु वार्षिक आन्तरिक गुणवत्ता आवश्यक है क्योंकि इससे कार्य के प्रति रूझान एवं वर्ष में

किये गये कार्य के आकंलन के साथ-साथ कर्तव्य के प्रति उत्तरदायित्व का भी आंकलन होगा। विचार-विमर्श के दौरान सर्वसम्मत रूप से मत व्यक्त किया गया कि शिक्षकों में कर्तव्यबोध एवं कार्य के प्रति उत्तरदायित्व का होना आवश्यक है। प्रकरण के संबंध में यह भी मत व्यक्त किया गया कि अन्य मुक्त विश्वविद्यालयों द्वारा अपनायी जा रही नीति तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित वार्षिक आन्तरिक गुणवत्ता आकंलन हेतु नीति तथा इस हेतु प्रयोग किये जाने वाले फार्म के प्रारूप पर विचार हेतु निम्न समिति का गठन किया गया:-

1. प्रोफेसर स्वराज बासु
2. प्रोफेसर एच0पी0 शुक्ला
3. प्रोफेसर गिरिजा पाण्डे

समिति से अनुरोध किया जाय कि वह अपनी संस्तुतियॉ यथाशीघ्र उपलब्ध कराये।

प्रस्ताव संख्या 6.09 - विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये प्रयुक्त किये जाने वाले वार्षिक चरित्र प्रविष्टि के प्रारूप पत्र का अनुमोदन।

विश्वविद्यालय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये प्रस्तुत वार्षिक चरित्र प्रविष्टि के प्रारूप पत्रों का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव संख्या 6.10- दूरस्थ शिक्षा परिषद से प्राप्त अनुदान के अन्तर्गत नियुक्त परामर्शदाताओं एवं अन्य के मानदेय का भुगतान शुल्क मद से किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के समय कुलपति द्वारा अवगत कराया गया कि दूरस्थ शिक्षा परिषद से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष अकादमिक परामर्शदाता एवं अन्य परामर्शदाता आदि नियोजित किये गये थे। नई पंचवर्षीय योजना एवं वित्तीय वर्ष आरम्भ होने के कारण वर्ष 2012-13 के लिये दूरस्थ शिक्षा परिषद से अभी तक अनुदान प्राप्त नहीं हो सका है, जबकि विश्वहिवद्यालय के पाठ्यक्रमों एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों के संचालन हेतु न्यूनतम जनशक्ति आवश्यक है। अत: न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विश्वविद्यालय को शुल्क से प्राप्त आय से नियोजित कार्मिकों को मानदेय का भुगतान किया जा रहा है। प्रकरण पर स्थिति स्पष्ट किये जाने तथा विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए परिषद द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करते हुए भविष्य में कार्मिकों के नियोजन के औचित्य एवं आवश्यकता का आकंलन करने हेतु निम्न समिति का गठन किया गया तथा मत व्यक्त किया कि भविष्य की आवश्यकताओं पर विचार हेतु समिति की संस्तुति के आधार पर नियोजन की प्रक्रिया पूरित की जाय तथा प्रकरण पर वित्त समिति की आगामी बैठक में अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय:-

1. प्रोफेसर गोविन्द सिंह
2. प्रोफेसर एच0पी0 शुक्ल
3. प्रोफेसर गिरिजा पाण्डे
4. कुलसचिव
5. वित्त नियंत्रक

11/8/12

प्रस्ताव संख्या 6.11 – अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य प्रस्ताव।

6.11-01:- पीएच0डी0 प्रवेश हेतु विद्या परिषद की विशेष बैठक दिनांक 06.08.2012 पर विचार एवं अनुमोदन।

परिषद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया तथा विद्या परिषद द्वारा पारित संकल्पों पर अनुमोदन प्रदान किया गया। परिषद को कुलपति द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार प्रथम चरण में शोध निर्देशकों को पूरी क्षमता में शोधकर्ता आवंटित न कर प्रतिवर्ष आवंटन का सिद्धान्त अपनाया गया है। इस प्रकार विश्वविद्यालय प्रतिवर्ष प्रवेश परीक्षा आयोजित कर सकेगा तथा प्रवेश प्रक्रिया सतत् रूप से चलती रहेगी। इस संबंध में परिषद के सदस्यों द्वारा सुझाव दिया गया कि इस आशय का उल्लेख पीएच0डी0 प्रवेश अध्यादेश में भी, यदि पूर्व से उल्लिखित न हो, कर लिया जाय।

अन्य प्रकरण:-

1. परिषद के समक्ष अध्यक्ष महोदय द्वारा विश्वविद्यालय में समस्या निदान प्रकोष्ठ (Grievances Redressal Cell) की स्थापना किये जाने का मत व्यक्त किया गया। प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के उपरान्त यह सहमति व्यक्त की गयी कि अन्य विश्वविद्यालयों में समस्याओं के निदान हेतु अपनायी जा रही नीति का अध्ययन कर लिया जाय। इस निमित्त निम्न समिति का गठन किया गया:-

1. विश्वविद्यालय प्रतिनिधि	- प्रोफेसर गोविन्द सिंह
2. कार्य परिषद के सदस्य	- श्री सुधीर चढ्ढा
3. वाहय प्रतिनिधि	- प्रोफेसर आर0सी0 पंत

प्रस्तावित प्रकोष्ठ के सम्बन्ध में समिति यह भी संस्तुति देगी कि क्या शिकायत निवारण प्रकोष्ठ विश्वविद्यालय के कार्मिकों एवं शिक्षकों से प्राप्त अनुरोधों पर विचार करेगा अथवा वह वाहय व्यक्तियों से प्राप्त अनुरोधों पर भी विचार कर सकेगा अथवा नहीं? ताकि इससे कोई प्रशासनिक अथवा विधिक कठिनाई उत्पन्न न हो।

2. परिषद के माननीय सदस्य श्री सुधीर चढ्ढा द्वारा अपेक्षा की गयी कि विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के संबंध में प्रत्येक बैठक में एक प्रस्तुति दी जाय जिसमें प्रत्येक विभाग के कार्यकलापों को प्रदर्शित किया जाय। प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रोफेसर गोविन्द सिंह को प्रत्येक बैठक में विश्वविद्यालय के कार्यकलापों विशेषकर शैक्षणिक कार्यकलापों के प्रस्तुतिकरण हेतु दायित्व दिया गया।

3. परिषद को अवगत कराया गया कि **कॉमन वेल्थ ऑफ लर्निंग** द्वारा विश्वविद्यालय का भ्रमण किया गया तथा विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यकलापों का मूल्यांकन तथा उपलब्धियों एवं खामियों का विश्लेषण किया गया। कुलपति द्वारा परिषद को अवगत कराया गया कि यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया रही है तथा इस प्रक्रिया से निकले निष्कर्षों को विश्वविद्यालय अपनी कार्यप्रणाली में सम्मिलित करेगा।

4. परिवीक्षाधीन प्राध्यापकों एवं सहायक प्राध्यापकों के स्थायीकरण के संबंध में- विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम 27 के अन्तर्गत प्रत्येक नियुक्त प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक को एक वर्ष के लिये परिवीक्षा पर रखे जाने का प्राविधान है। परिवीक्षा अवधि को एक अतिरिक्त वर्ष के लिये बढ़ाये जाने का भी उल्लेख परिनियमावली में है। यदि परिवीक्षा अवधि में वृद्धि न की गयी हो तो परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर नियुक्ति को स्थायी किये जाने का प्राविधान है। वर्ष 2011 में विश्वविद्यालय में

05 प्राध्यापकों एवं 16 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की गयी थी जिनकी एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि उनके सम्मुख अंकित तिथि को समाप्त हो जायेगी:-

क्रम संख्या	नाम	विषय	योगदान की तिथि	परिवीक्षावधि समाप्ति/स्थायीकरण की तिथि
1.	प्रोफेसर आर0सी0 मिश्र	प्रबन्ध अध्ययन	09.08.2011	08.08.2012
2.	प्रोफेसर एच0पी0 शुक्ल	अंग्रेजी	09.08.2011	08.08.2012
3.	प्रोफेसर दुर्गेश पंत	कम्प्यूटर सांइस	09.08.2011	08.08.2012
4.	प्रोफेसर गोविन्द सिंह	पत्रकारिता एवं जनसंचार	18.08.2011	17.08.2012
5.	प्रोफेसर गिरिजा पाण्डे	इतिहास	25.08.2011	24.08.2012
6.	डा0 मंजरी अग्रवाल	प्रबन्ध अध्ययन	10.08.2011	09.08.2012
7.	डा0 गगन सिंह	वाणिज्य	10.08.2011	09.08.2012
8.	डा0 दीपक पालीवाल	समाजशास्त्र	10.08.2011	09.08.2012
9.	डा0 सूर्यभान सिंह	राजनीतिशास्त्र	10.08.2011	09.08.2012
10.	डा0 मदन मोहन जोशी	इतिहास	10.08.2011	09.08.2012
11.	डा0 वीरेन्द्र कुमार	कृषि	10.08.2011	09.08.2012
12.	डा0 हेमन्त काण्डपाल	आर्युवेद	10.08.2011	09.08.2012
13.	डा0 सुबोध कुमार	पत्रकारिता एवं जनसंचार	10.08.2011	09.08.2012
14.	डा0 देवेश कुमार मिश्र	संस्कृत	10.08.2011	09.08.2012
15.	डा0 शशांक शुक्ला	हिन्दी	10.08.2011	09.08.2012
16.	डा0 एच0सी0 जोशी	वानिकी	10.08.2011	09.08.2012
17.	डा0 दिनेश कुमार	शिक्षाशास्त्र	11.08.2011	10.08.2012
18.	डा0 जटाशंकर आर0पी0 तिवारी	होटल मैनेजमेन्ट	11.08.2011	10.08.2012
19.	डा0 रंजनी रंजन सिंह	शिक्षाशास्त्र	17.08.2011	16.08.2012
20.	डा0 अमित गंगोटिया	पर्यटन	18 8.2011	17.08.2012
21	डा0 सुचित्रा अवस्थी	अंग्रेजी	15.09.2011	14.09.2012

तालिका के क्रमांक 1, 2, 3, एवं 5 पर उल्लिखित प्राध्यापक कुमॉऊ विश्वविद्यलाय, नैनीताल से असाधारण अवकाश पर हैं तथा अभी उनका कुमॉऊ विश्वविद्यलाय, नैनीताल में धारणाधिकार है। अत: उनकी एक वर्ष के परिवीक्षा काल की समाप्ति पर स्थायी किये जाने पर परिषद सैद्धान्तिक रूप से सहमत है परन्तु उनका उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में स्थायीकरण कुमॉऊ विश्वविद्यालय की सेवा से त्याग पत्र स्वीकृत होने के उपरान्त ही प्रभावी माना जायेगा। सहायक प्राध्यापकों के सम्बन्ध में भी स्थायीकरण पर सहमति व्यक्त की गयी। यदि किसी सहायक प्राध्यापक के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन एवं शैक्षिक एवं जाति प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के उपरान्त कोई प्रतिकूल सूचना प्राप्त होती है तो उनका निराकरण प्रशासनिक/विधिक रूप से किया जायेगा।

परिषद की बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त समाप्त हुई।

11/8/12

कुलसचिव/सदस्य सचिव

Approved
Vice Chancellor